

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मार्ग दर्शिका/12-13

जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

13 0 SEP 2013

विषय :- महानरेगा योजना में रोजगार की मांग हेतु फार्म-6 की पावती रसीद देने हेतु ब्लॉक कॉर्डिनेटर को अधिकृत करने बाबत।।

प्रसंग:- विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 04.06.2012 एवं 05.06.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा फार्म नं. 6 की उपलब्धता/जमा करने तथा इनकी पावती रसीद दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। महात्मा गांधी नरेगा योजना में कन्वर्जेंस के तहत ग्रामीण शौचालय का निर्माण एन.बी.ए. के तहत कराया जा रहा है। अतः उक्त प्रासंगिक पत्रों की निरन्तरता में खण्ड स्तर पर कार्यरत ब्लॉक कॉर्डिनेटर को भी मनरेगा योजना में फार्म नं. 6 प्राप्त करने एवं इसकी प्राप्ति देने हेतु अधिकृत किया जाता है।

भवदीय

(कुलदीप रांका)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, सी.सी.डी.यू, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जिला परिषद जयपुर/जोधपुर।
5. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस